प्राथमिकता

संख्या 1795 /नौ–9–2013–89ज/01

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 08 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित निकायों के अंश की रोकी गयी धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को पृष्ठांकित कृपया अपने पत्र संख्या 8/2708–शा0/152(5)/तृ0रा0वि0आ0/2013–14 दिनांक 25 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों को संक्रमित धनराशि में से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरों में निर्मित एस0टी0पी0 एवं सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन तथा रखरखाव हेतु वर्ष 2013–14 में रोकी गई धनराशि रू0 76,85,64,000.00 सम्बन्धित निकायों अन्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0पी0 व सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव तथा विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रोकी गयी उक्त धनराशि रू0 76,85,64,000.00 (रू0 छिहत्तर करोड़ पिच्यासी लाख चौसठ हजार मात्र) निम्न तालिका के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:

क0 सं0	निकाय का नाम	विद्युत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0 में	परिसम्पत्ति के संचालन एवं रखरखाव हेतु धनराशि रू0 में	योग (3+4) (धनराशि रू0 में)
1	2	3	4	5
1.	आगरा	5,82,41,000.00	11,93,66,000.00	17,76,07,000.00
2.	इलाहाबाद	6,96,10,000.00	7,76,95,000.00	14,73,05,000.00
3.	कानपुर	9,17,50,000.00	11,15,35,000.00	20,32,85,000.00
4.	वाराणसी	5,09,58,500.00	11,93,00,000.00	17,02,58,500.00

hggo-1

5.	इटावा	27,20,500.00	1,10,65,000.00	1,37,85,500.00
6.	फर्रूखाबाद	9,86,000.00	45,45,000.00	55,31,000.00
7.	मिर्जापुर	23,05,000.00	2,88,12,500.00	3,11,17,500.00
8.	सुलतानपुर	36,08,000.00	76,74,500.00	1,12,82,500.00
9.	अनूपशहर	7,56,080.00	76,35,920.00	83,92,000.00
	योग	28,09,35,080.00	48,76,28,920.00	76,85,64,000.00

(रू0 छिहत्तर करोड़ पिच्चासी लाख चौसठ हजार मात्र)

3. कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा शासनादेश संख्या 1358/9-9-12-89ज/2001 दिनांक 21 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार नदी प्रदूषण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की प्रगति की आख्या शासन को यथासमय उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/वाराणसी/इटावा/फर्रूखाबाद/मिर्जापुर /सुलतानपुर/अनूपशहर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/वाराणसी/इटावा/फर्रूखाबाद/मिर्जापुर /सुलतानपुर/अनूपशहर।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, /इटावा /फर्रूखाबाद /मिर्जापुर /सुलतानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।
8. वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
07/11/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।
६

hggo-l